भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2009

दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत पेयजल

की आपूर्ति

†2009. श्री विजय गोयल:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस कार्यक्रम के तहत देश के सभी ग्रामीण नागरिकों को निश्चित मात्रा में पेयजल की आपूर्ति कराने का लक्ष्य रखा गया है; और
(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक की उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) जी हाँ।

(ख) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार, ग्रामीण आबादी को पर्याप्त मात्रा में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उनकी सहायता करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों के संबंध में योजना बनाने, उनका अनुमोदन करने और उन्हें कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई हैं। राज्य सरकारें, मंत्रालय से परामर्श करके, आंशिक रूप से कवर की गईं और गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली प्रस्तावित

परियोजनाएं कवर करने के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) तैयार करती हैं। राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत आबंटित निधियों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि संपूर्ण आबादी को कवर करने की ओर बढ़ा जा सके। वर्ष 2014-15 के दौरान, एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत 11,000 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के दिशानिर्देशों के तहत, पेयजल के लिए प्रति व्यक्ति मानदंड, प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) 40 लीटर है। तथापि, जल की उपलब्धता, मांग, उसमें शामिल पूंजीगत लागत, किफायतीपन आदि के आधार पर राज्यों को उच्च मानदण्ड निर्धारित करने की स्वतंत्रता है।

मंत्रालय ने 2011-2022 की अवधि के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु एक कार्यनीति योजना तैयार की है, जिसमें दो पंचवर्षीय योजना अवधियों को शामिल किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक परिवारों तक पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा का विस्तार करने पर बल दिया गया है। वर्ष 2017 तक सभी ग्रामीण परिवारों में से 50% परिवारों तक पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना और 35% ग्रामीण परिवारों तक घरेलू नल के कनेक्शन उपलब्ध कराने का अन्तरिम लक्ष्य है। वर्ष 2022 तक 90% ग्रामीण परिवारों तक पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा और 80% ग्रामीण परिवारों तक घरेलू नल के कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार, 47.45% ग्रामीण आबादी को पाइप द्वारा जल आपूर्ति स्कीमों की सुविधाएँ उपलब्ध करा दी गई हैं। अत: मंत्रालय, लक्षित वर्ष अर्थात् 2017 से पूर्व 50 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने की सही दिशा में है। जहाँ तक पाइप से जल आपूर्ति के कनैक्शन ग्रामीण परिवारों को देने का संबंध है, इस बारे में राज्यों से वार्षिक कार्य योजना बैठकों के दौरान इस पर ध्यान केन्द्रित करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) प्रति व्यक्ति प्रति दिन 40 लीटर की दर से पेयजल आपूर्ति की सुविधा प्राप्त ग्रामीण बसावटों का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण अनुलग्नक पर है।

***

अनुलग्नक

दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2009 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक (01/04/14) की स्थिति के अनुसार पेयजल आपूर्ति के संबंध में ग्रामीण बसावटों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	कुल	पूर्ण रूप से कवर की गई	आंशिक रूप से कवर की गई	गुणवत्ता प्रभावित
		बसावटों की संख्या	बसावटों की संख्या	बसावटों की संख्या	बसावटों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	47397	**29231**	16612	1554
2	बिहार	107640	**50203**	50838	6599
3	छत्तीसगढ़	73616	**61483**	8038	4095
4	गोवा	347	**345**	2	0
5	गुजरात	34415	**33829**	329	257
6	हरियाणा	7251	**6796**	440	15
7	हिमाचल प्रदेश	53604	**39274**	14330	0
8	जम्मू एवं कश्मीर	15798	**8049**	7739	10
9	झारखण्ड	119667	**116003**	3637	27
10	कर्नाटक	59753	**24480**	32900	2373
11	केरल	11883	**3338**	7717	828
12	मध्य प्रदेश	127559	**125151**	671	1737
13	महाराष्ट्र	100488	**87339**	12200	949
14	ओडिसा	157296	**101810**	48766	6720
15	पंजाब	15370	**12563**	2788	19
16	राजस्थान	121133	**69085**	28092	23956
17	तमिलनाडु	100018	**85946**	13657	415
18	तेलंगाना	25139	**13212**	10308	1619
19	उत्तर प्रदेश	260110	**259539**	73	498
20	उत्तराखण्ड	39142	**24195**	14913	34
21	पश्चिम बंगाल	98120	**45419**	41087	11614
22	अरूणाचल प्रदेश	7412	**2386**	4939	87
23	असम	87888	**41990**	35214	10684
24	मणिपुर	2870	**2089**	781	0
25	मेघालय	9326	**1918**	7356	52
26	मिजोरम	777	**339**	438	0
27	नागालैंड	1530	**503**	989	38
28	सिक्किम	2084	**662**	1422	0
29	त्रिपुरा	8132	**3215**	598	4319
30	अंडमान एवं निकोबार	400	**323**	77	0
31	चंडीगढ	18	**0**	18	0
32	दादर और नगर हवेली	70	**0**	70	0
33	दमन एवं दीव	21	**0**	21	0
34	दिल्ली	0	**0**	0	0
35	लक्षद्वीप	9	**0**	9	0
36	पुदुचेरी	248	**89**	150	9
कुल		**1696531**	**1250804**	**367219**	**78508**